

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरौही (राज.)
बईजलास श्री भगवती प्रसाद, आई.ए.एस.

मुकदमा सं. 04/2021

प्रार्थी

सरकार जरिए थानाधिकारी पालडी एम जिला सिरौही।

बनाम

अप्रार्थी

1. श्री राकेश चौधरी पुत्र श्री पुखराज उर्फ पपाराम जाति चौधरी निवासी सर ग्राम पंचायत सरेवा पुलिस थाना लूणी जिला जोधपुर हाल लक्ष्मी होटल नेशनल हाईवे नं. 62 सरहद उधमण पुलिस थाना पालडी एम जिला सिरौही।

प्रकरण अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थिति :-

1. सहायक लोक अभियोजन अधिकारी प्रथम सिरौही
2. अप्रार्थी स्वयं अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक 29.12.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 06.06.2020 को कृष्णा होटल नेशनल हाईवे नं. 62 सरहद उधमण के होटल परिसर में स्थित कमरे में कुल 90 लीटर अवैध डीजल भरा हुआ पाया गया। बिना परमिट एवं उचित कारण के डीजल कब्जे में रखना धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अपराध होने से डीजल को जरिये फाई कब्जे लिया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 ए के तहत समयपहरण (Confiscate) करने हेतु यह प्रकरण पेश किया गया है।

प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया जिस पर अप्रार्थी के द्वारा किसी भी प्रकार की उपस्थिति नहीं दी गई। प्रकरण में एक पक्षीय बहस सुनी गई।

सरकार की ओर से सहायक लोक अभियोजन अधिकारी प्रथम सिरौही की बहस सुनी गई तो प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि दिनांक 06.06.2020 को कृष्णा होटल नेशनल हाईवे नं. 62 सरहद उधमण के होटल संचालक श्री राकेश चौधरी पुत्र श्री पुखराज उर्फ पपाराम जाति चौधरी निवासी सर ग्राम पंचायत सरेवा पुलिस थाना लूणी जिला जोधपुर हाल लक्ष्मी होटल नेशनल हाईवे नं. 62 सरहद उधमण पुलिस थाना पालडी एम जिला सिरौही द्वारा अवैध डीजल अवैध तरीके से बेचान/परिवहन करने के उद्देश्य से उनके कब्जे वाले होटल परिसर में स्थित कमरे में कुल 90 लीटर डीजल पाया गया था। इस प्रकार कुल 90 लीटर डीजल अवैध भरा हुआ पाया गया एवं अप्रार्थी से उक्त डीजल से सम्बन्धित बिल व अनुज्ञा के बारे में पूछा तो अप्रार्थी ने अपने पास कुछ भी उपलब्ध नहीं होना बताया। अप्रार्थी द्वारा बिना लाईसेंस के डीजल का अवैध भण्डारण करने पर प्रार्थी द्वारा उक्त डीजल को कब्जे सरकार लिया गया एवं न्यायालय द्वारा अंतरिम निस्तारण के आदेश नहीं हुए हैं कि कब्जे सरकार लिए गए कुल 90 लीटर अवैध डीजल जो बाद के सम्पल व नमूना सम्पल के शेष 82 लीटर जरीकनों में बचा हुआ होने से उक्त डीजल का

दिनांक 29.12.2021, सिरौही

निस्तारण करना फरमावें। अतः डीजल ज्वलनशील पदार्थ है, जिसे लम्बे समय तक थाने में पड़े रहने से लीकेज एवं आग लगने की सम्भावना है। अतः उसे समयपहरण (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करावे ।

अप्रार्थी की ओर से बावजूद नोटिस तामिली के किररी भी प्रकार की उपस्थिति नहीं दी। पूर्व में इनको कई अवसर प्रदान किए जा चुके हैं। अतः इनका जवाब देने का अवसर बन्द किया जाता है।

प्रार्थी पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि दिनांक 06.06.2020 को कृष्णा होटल नेशनल हाईवे नं. 62 सरहद उथमण के होटल संचालक श्री राकेश चौधरी पुत्र श्री पुखराज उर्फ पपाराम जाति चौधरी निवासी सर ग्राम पंचायत सरेवा पुलिस थाना लूणी जिला जोधपुर हाल लक्ष्मी होटल नेशनल हाईवे नं. 62 सरहद उथमण पुलिस थाना पालडी एम जिला सिरोही द्वारा अवैध डीजल अवैध तरीके से बेचान/परिवहन करने के उद्देश्य से उनके कब्जे वाले होटल परिसर में स्थित कमरे में कुल 90 लीटर डीजल पाया गया था। इस प्रकार कुल 90 लीटर डीजल अवैध भरा हुआ पाया गया एवं कब्जे सरकार लिए गए कुल 90 लीटर अवैध डीजल जो वाद कन्ट्रोल सैम्पल व नमूना सैम्पल के शेष 82 लीटर डीजल बचा हुआ था। अप्रार्थी से उक्त डीजल से सम्बन्धित बिल व अनुज्ञा के बारे में पूछा तो अप्रार्थी ने अपने पास कुछ भी उपलब्ध नहीं होना बताया। इस संबंध में अप्रार्थी द्वारा किसी भी प्रकार जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः बिना लाइसेंस के अवैध रूप से डीजल का भण्डारण आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध होने से धारा 6 ए. के तहत प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर कब्जे सरकार लिये गये डीजल को समयपहरण (Confiscate) करने के आदेश दिये जाते हैं।

जिला रसद अधिकारी, सिरोही कब्जे सरकार लिए गए डीजल का निस्तारण नियमानुसार उपभोक्ताओं को वितरण कर/नीलाम कर प्राप्त राशि राजकीय राजकोष जमा कराने की कार्यवाही करें एवं चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें।

निर्णय आज दिनांक 29.12.2021 को सरे इजलास सुनाया गया



(भगवती प्रसाद)

जिला कलेक्टर, सिरोही